



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1943 (श10)

(सं0 पटना 47) पटना, मंगलवार, 1 फरवरी 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना

1 फरवरी 2022

सं० 02/कर/शुल्क-10/2021, परि०/658—बिहार मोटरवाहन करारोपण (यथासंशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा-15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-51 क के आलोक में मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अन्तर्गत वाहनों के स्क्रेपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची-IV के पश्चात् अनुसूची-V निम्नरूप से जोड़ा जाता है :-

#### अनुसूची-V

क्र०सं०	प्रयोजन	मोटरवाहन कर में रियायत
1	यदि वाहन "निक्षेप प्रमाण-पत्र" (Certificate of Deposit) प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, तो मोटरयान के निबंधन के समय यान का स्क्रेपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर।	<p>गैर परिवहन वाहन के मामले में वर्तमान कर का 25% छूट/रियायत मोटरवाहन कर में प्रदान किया जायेगा, जिसका उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष तक किया जा सकेगा।</p> <p>परिवहन वाहन के मामले में वर्तमान कर का 15% छूट/रियायत मोटरवाहन कर में प्रदान किया जायेगा, जिसका उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 08 वर्ष तक किया जा सकेगा।</p>

2- यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सरकार के सचिव।

**The 1<sup>st</sup> February 2022**

**No.-02/कर/शुल्क-10/2021,परि0/658**—In exercise of the power conferred by section-15 (1) of Bihar Motor Vehicle taxation (as amended) Act., 1994, in light of the rule-51 (A) of Central Motor Vehicle Rule, 1989 for the registration facility of scrapping of the vehicles and the disposal the work related to it, under the Motor Vehicles (Registration and Functions of vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 Schedule-V is added after Schedule- IV under Bihar Motor Vehicle taxation Act., 1994 in following manner.

## Schedule-V

Sl. No.	Purpose	Rebate
1	On submission of Scrapping certificate at the time of registration. If registration is made for the submission of the Certificate of Deposit of the vehicle.	In case of non transport vehicle 25% rebate in current Motor Vehicle Tax shall be given, which shall be availed upto 15 years from the date of registration.
		In case of transport vehicle 15% rebate in current Motor Vehicle Tax shall be given, which shall be availed upto 08 years from the date of registration. of the current tax shall be used upto 08 years from the date of registration.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,  
Sanjay Kumar Agarwal,  
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 47-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>